प्रेस नोट

दिनांक 23.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

"मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर करावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधो में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिगं सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर "**मिशन शक्ति**" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 27/15 धारा 354क भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कमरौली में अभियुक्त सय्यैद नट पुत्र भूषन नि0 हसनगंज मजरे कठौरा थाना कमरौली जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 सुलतानपुर द्वारा दिनांक 22.11.2022 को अभियुक्त को 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास, 05 हजार रु0 अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 26.01.2015 को समय 14:50 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त सय्यैद नट नि0 हसनगंज मजरे कठौरा थाना कमरौली जनपद अमेठी द्वारा खेत में काम करते समय छेड़छाड़ के संबंध में थाना कमरौली पर मु0अ0सं0 27/15 धारा 354क भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री कृष्ण कान्त थाना कमरौली द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-05 दिनांक 19.02.2015 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई।